न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 16/2019 रिव्यू प्रार्थना पत्र

1. धर्मेन्द्र कुमार नामदेव पुत्र भैरूलाल नामदेव (विक्रेता) मैसर्स होटल ग्लोरिया ईन निवासी हरणीकलां
2. रतन गोखरू पुत्र सरदार सिंह गोखरू (मालिक/नॉमिनी) मैसर्स होटल ग्लोरिया ईन निवासी हरणीकलां
3. मैसर्स होटल ग्लोरिया ईन निवासी हरणीकलां

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा

–विपक्षी

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 22.04.2019 प्रकरण सं. 34/2018 खाद्य सुरक्षा

उपस्थित –

1. प्रार्थीगण प्रतिनिधि उपस्थित
2. विपक्षी की ओर से पेरोकार

निर्णय

दिनांक 31.07.2019

प्रार्थीगण ने प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विपक्षी सं. 01 ने एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी के विरूद्व आप न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी विपक्षीगण सं. 01 से लगायत 03 सबस्टैण्डर्ड साबुत धनिया का सब्जियों में उपयोग हेतु विक्रय करने के लिये दोषी मानते हुये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन होने एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित हैं उस अनुसार आप न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा त्रुटि इस रूप में रही है कि उक्त पारित निर्णय में विपक्षी सं. 02 एव 03 को बिना सुने ही प्रकरण निर्णित कर दिया गया। विपक्षी सं. 01 मैसर्स होटल ग्लोरिया ईन में मात्र एक कर्मचारी हैं। आप न्यायालय द्वारा दिनांक 22.04.2019 को जो निर्णय किया गया। इस दिन की कोर्ट तारीख पेशी प्रार्थी विपक्षी सं. 02 व 03 को विपक्षी सं. 01 द्वारा नहीं बतायी गयी। उक्त निर्णय बिना किसी साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रदर्श के बिना पारित किया गया । विपक्षी सं. 02 व 03 को उक्त प्रकरण में सुना जाकर न्याय हित में निर्णय पारित किया जाना चाहिये। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में पुनः विचार कर दोनों पक्षों की सुनवाई कर निर्णय किया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02.07.2019 को पंजीकृत करते हुये विपक्षी को नोटिस जारी किया गया व पत्रावली तलब की गयी।

प्रस्तुत निगरानी में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थीगण के प्रतिनिधि ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत बिन्दु सं. 1

से लगायत 10 के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण विपक्षीगण सं. 01 से लगायत 03 सबस्टैण्डर्ड साबुत धनिया का सब्जियों में उपयोग हेतु विक्रय करने के लिये दोषी मानते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन होने एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित हैं उस अनुसार आप न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा त्रुटि इस रूप में रही है कि उक्त पारित निर्णय में विपक्षी सं. 02 एव 03 को बिना सुने ही प्रकरण निर्णित कर दिया गया। विपक्षी सं. 01 मैसर्स होटल ग्लोरिया ईन में मात्र एक कर्मचारी हैं। आप न्यायालय द्वारा दिनांक 22.04.2019 को जो निर्णय किया गया। इस दिन की कोर्ट तारीख पेशी प्रार्थी विपक्षी सं. 02 व 03 को विपक्षी सं. 01 द्वारा नहीं बतायी गयी। उक्त निर्णय बिना किसी साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रदर्श के बिना पारित किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो सैम्पल लिया गया वो सैम्पल फैंकने के लिए रखा गये खाद्य पदार्थ (गारबेज) में से लिया गया हैं। वह आम जनता के विक्रय हेतु नहीं रखा गया था। गलत सैम्पल लिया गया गया। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में पुनः विचार कर दोनों पक्षों की सुनवाई कर निर्णय किया जावे।

विपक्षी पेरोकार ने बहस में बताया कि मूल प्रकरण सं. 34/2018 में प्रार्थी विपक्षी सं. 01 से लगायत 03 के सम्मन नोटिस होटल ग्लोरिया ईन के कर्मचारी सुखदेव ने दिनांक 10.11.2018 को प्राप्त कर होटल की मोहर लगाकर प्राप्ति रसीद दी है जो बाद तामील होकर पत्रावली में संलग्न हैं। इससे स्पष्ट हैं कि मूल प्रकरण में विपक्षी सं. 01 से लगायत 03 को कोर्ट तारीख पेशी जानकारी में थी। लिये गये सैम्पल के मौका पर्चा रिपोर्ट पर स्वयं विपक्षी सं. 01 धर्मेन्द्र कुमार जो कि होटल ग्लोरिया ईन के कर्मचारी हैं के हस्ताक्षर हैं। इससे स्पष्ट हैं कि लिया गया सैम्पल फैंकने के लिए रखा गये खाद्य पदार्थ (गारबेज) में से नहीं लिया गया। अतः निवेदन हैं कि प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । रिव्यू (पुनरीक्षण) का अवसर विस्तार –"यदि निर्णय अभिलेख के अवलोकन से ही त्रुटि दृष्टिगोचर के दोष से पीड़ित है तो इसे पुनरीक्षण प्रक्रियाओं में ठीक किया जा सकता है, परन्तु यदि निर्णय त्रुटिपूर्ण है अथवा न्यायालय द्वारा किन्हीं दस्तावेजों, तथ्यों, साक्ष्यों या विधि के बारे में त्रुटिपूर्ण दृष्टि अपनाई गई है तो ऐसे मामलों को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से ठीक नहीं किया जा सकता है । पुनरीक्षण याचिका किसी अपील या रिट पिटिशन का स्थान नहीं ले सकती है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती मीरा भान्जा बनाम निर्मला कुमारी चौधरी ए.आई.आर. 1995 सुप्रीम कोर्ट पेज 455 में पुनरीक्षण के बारे में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया है–
'' Review error apparent on face of record , means an error which strike one or more looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points of where there may conceivably be two opinons.''

उक्त निर्णय के प्रावधान इस प्रकरण में भी लागू होते हैं। खाद्य सुरक्षा प्रकरण सं. 34/2018 में उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रकरण को दिनांक 22.04.2019

को ही निर्णित कर दिया गया। न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई की जाकर ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है। प्रकरण के निर्णय करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुयी हैं। प्रार्थीगण द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र में जो तथ्य प्रस्तुत किये वह प्रकरण में जारी सम्मन के विधिवत तामील होने से एवं लिये गये सैम्पल के मौका पर्चा रिपोर्ट पर स्वयं विपक्षी सं. 01 धर्मेन्द्र कुमार जो कि होटल ग्लोरिया ईन के कर्मचारी हैं के हस्ताक्षर होने से प्रकरण सं. 34/2018 को रिव्यू किया जाना विधि सम्मत नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण के रिव्यू प्रार्थना पत्र में पुनरीक्षण के आधार विधि सम्मत नहीं होने से यह रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अतएव–

आदेश

प्रार्थीगण ने रिव्यू प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के खाद्य सुरक्षा प्रकरण सं. 34/2018 निर्णय दिनांक 22.04.2019 के संबंध में प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थना पत्र में "रिव्यू के आधार में बिना साक्ष्य एवं दस्तावेज का परीक्षण किये ही निर्णय पारित किया जाना अंकित किया हैं।" जबकि इस न्यायालय के खाद्य सुरक्षा प्रकरण सं. 34/2018 निर्णय दिनांक 22.04.2019 में प्रथम दृष्टतया कोई अशुद्वि नहीं हुयी एवं गणना में भी कोई त्रुटि नहीं रही हैं। प्रार्थीगण द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र में जो तथ्य प्रस्तुत किये वह प्रकरण में जारी सम्मन के विधिवत तामील होने से एवं लिये गये सैम्पल के मौका पर्चा रिपोर्ट पर स्वयं विपक्षी सं. 01 धर्मेन्द्र कुमार जो कि होटल ग्लोरिया ईन के कर्मचारी हैं के हस्ताक्षर होने से प्रकरण 34/2018 को रिव्यू किया जाना विधि सम्मत नहीं होने से प्रार्थीगण के रिव्यू प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)